(1) क्रमांक. 107
दिनांक 18.6.14
(हस्तलिखित) 107:1

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / अ.आ. / एल.पी.सी. / 14 / डी– 748 दिनांकः - 13-6-2014

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 106वीं बैठक दिनांकः 21.05.14 को अपरान्ह 03.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में "चिन्तन सभा कक्ष" में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		106:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 103वीं बैठक दिनांक 14.02.14, 104वीं बैठक दिनांक 28.02.14 व 105वीं बैठक दिनांक 25.04.14 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 103वीं बैठक दिनांक 14.02.14, 104वीं बैठक दिनांक 28.02.14 व 105वीं बैठक दिनांक 25.04.14 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन होकर प्राप्त होने के पश्चात अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
2.	13ए	106:2	राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पात्र [illegible] भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पात्र शिक्षकों को [illegible] 200 वर्गगज नॉन कॉर्नर भूखण्ड योजना की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। उपायुक्त जोन–13ए द्वारा योजना में उपलब्ध नॉन कॉर्नर 200 वर्गगज के भूखण्डों में से लॉटरी द्वारा आवंटन की कार्यवाही की जावे। 1. श्री रामचरण यादव 2. श्रीमति वीना जोशी 3. श्री रामरतन हर्ष 4. श्री सत्यनारायण मेठी 5. श्री तारासिंह सिनसिनवार 6. श्री कैलाश चन्द शर्मा 7. श्री विद्याधर शर्मा 8. श्री हरिशंकर गुप्ता 9. श्री हनुमान सहाय शर्मा
3.	7	106:3	श्रीमति इन्द्रा जैन को भूखण्ड संख्या 111 नित्यानन्द नगर ए को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की 64.38 वर्गगज भूमि आवंटन करने बाबत।	श्रीमति इन्द्रा जैन को नित्यानंद नगर–ए में भूखण्ड संख्या ए–111 क्षेत्रफल 194.62 वर्गगज की लीज डीड दिनांक 30.10.01 को जारी की गई थी। मौके पर उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 64.38 वर्गगज बढ़ जाने के कारण व उक्त भू–पट्टी का कोई स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकने के कारण वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन हेतु एजेण्डा नोट उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर बढे हुये क्षेत्रफल 64.38 वर्गगज को वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। उपायुक्त जोन को निर्देशित किया गया कि योजना के अन्य भूखण्ड संख्या ए–133, ए–112, ए–90, ए–88, ए–77 कुल 5 भूखण्डधारियों को लीज डीड में वर्णित क्षेत्रफल से अधिक भूमि पर से नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही की जावे।
4.	7	106:4	श्री कुलभूषण मेहरा को वीर विहार योजना के भूखण्ड संख्या 27 में बढ़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन बाबत।	श्री कुलभूषण मेहरा एवं श्रीमति श्वेता मेहरा को वीर विहार योजना में भूखण्ड संख्या 27 क्षेत्रफल 577.77 वर्गगज की लीज डीड दिनांक 10.05.02 को जारी की गई थी। उपायुक्त के प्रस्तावनुसार भूखण्ड के पास

(हस्तलिखित) उप. आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				लगती हुई अतिरिक्त पट्टी क्षेत्रफल 61.38 वर्गगज का कोई स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकने के कारण उक्त बढ़ा हुआ क्षेत्रफल को वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि योजना के अन्य भूखण्डधारीयों द्वारा कोई अवैध निर्माण कर लिया गया हो तो उन्हें हटाने की कार्यवाही की जावे।
5.	11	106:5	अनुपम विहार आवासीय योजना में श्री रघुवीर सिंह शेखावत को आवंटित भूखण्ड बी–216 के स्थान पर बी–422 विनिमय करने बाबत।	श्री रघुवीर सिंह शेखावत पुत्र स्व. श्री हनुमान सिंह शेखावत को अनुपम विहार आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या बी–216 क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर लॉटरी द्वारा आवंटित किया गया था। परन्तु योजना मानचित्र की री–प्लानिंग करने के कारण उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर हो गया। अतः उपायुक्त के प्रस्तावनुसार भूखण्ड संख्या बी–216 के स्थान पर योजना के बी–ब्लॉक में उपलब्ध एक मात्र भूखण्ड संख्या बी–422 क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर नॉन कॉर्नर विनिमय किये जाने का निर्णय लिया गया।
6.	13	106:6	श्री लक्ष्मीनारायण यादव पुत्र स्व. श्री झूथाराम यादव को रमल्यावाला डेयरी योजना में भूखण्ड संख्या आर–9 के स्थान पर भूखण्ड संख्या 565 विनिमय बाबत।	श्री लक्ष्मीनारायण यादव पुत्र स्व. श्री झूथाराम यादव को रमल्यावाला डेयरी योजना में भूखण्ड संख्या [illegible] क्षेत्रफल 351 वर्गमीटर दिनांक [illegible] को आवंटित किया गया था। उक्त भूखण्ड पर काश्तकारों का कब्जा होने के कारण दिनांक 23.02.11 को भूखण्ड संख्या आर–9 क्षेत्रफल 351 वर्गमीटर आवंटित किया गया। किन्तु उक्त भूखण्ड पर भी [illegible] का कब्जा [illegible] जविप्रा के मध्य विवाद होना पाया गया। अतः उपायुक्त के प्रस्तावनुसार नॉन कॉर्नर भूखण्ड संख्या 565 क्षेत्रफल 351 वर्गमीटर विनिमय करने का निर्णय लिया गया। आवंटी को पूर्व में 202.50 वर्गमीटर की लीज डीड जारी की गई है। अतः शेष भूमि की नियमानुसार लेय राशि आवंटी से वसूल की जावे।
7.	13	106:7	उपकोष कार्यालय चौमू के कार्यालय भवन निर्माण हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपकोष कार्यालय चौमू के कार्यालय भवन निर्माण हेतु ग्राम चौमू, तहसील चौमू के खसरा नं. 745/2 रकबा 0.38 हैक्टेयर में से 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु उपायुक्त जोन–13 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपकोष कार्यालय को जोन की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :–

8.	12	106:7(1)	ग्राम मूण्डोता तहसील आमेर के खसरा नं. 707 रकबा 9.67 हैक्टेयर में से 3000 वर्गमीटर भूमि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवंटन बाबत।	ग्राम मूण्डोता तहसील आमेर के खसरा नं. 707 रकबा 9.67 हैक्टेयर में से 3000 वर्गमीटर भूमि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु उपायुक्त जोन–12 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मूण्डोता हेतु खसरा नं. 707 में से 2500 वर्गमीटर भूमि जोन की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। उपायुक्त को शेष भूमि की प्लानिंग करने के भी निर्देश दिये गये।
9.	12	106:7(2)	ग्राम मूण्डोता तहसील आमेर के खसरा नं. 707 रकबा 9.67 हैक्टेयर में से 3000 वर्गमीटर भूमि उप तहसील हेतु आवंटन बाबत।	ग्राम मूण्डोता तहसील आमेर के खसरा नं. 707 रकबा 9.67 हैक्टेयर में से 3000 वर्गमीटर भूमि उप तहसील कार्यालय हेतु उपायुक्त जोन–12 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर

				उप तहसील कार्यालय भूण्डोता हेतु खसरा नं. 707 में से 1000 वर्गमीटर भूमि जोन की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
10.	4	106:7(3)	मॉडल टाउन, जगतपुरा में उच्च जलाशय (टंकी) के निर्माण हेतु भूमि के निःशुल्क आवंटन बाबत।	उपायुक्त के प्रस्तावानुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को ग्राम सवाईगेटोर स्थित गैर अनुमोदित आवासीय योजना विनोबा विहार कॉलोनी के प्रस्तावित सुविधा क्षेत्र में रिक्त 344.76 वर्गमीटर भूमि महकमा इंजिनियरिंग के नाम दर्ज भूमि को छोड़ते हुये जोन की आवासीय आरक्षित दर पर पीएचईडी को आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त आवंटन की कार्यवाही से पूर्व 90बी की कार्यवाही के फलस्वरूप जेडीए के नाम जो भूमि दर्ज होनी शेष है, वह जेडीए के नाम दर्ज की जावे। तत्पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही की जावे।
11.	14ए	106:7(4)	ग्राम बाडापदमपुरा के खसरा नं. 116/1 किस्म चरागाह में 5 बीघा भूमि रा.उ.मा. विद्यालय बाडापदमपुरा को खेल मैदान हेतु आवंटन बाबत।	उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि ग्राम बाडापदमपुरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को खेल मैदान हेतु वर्ष 2001 में जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा खसरा नं. 116/2 में से 3.50 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया था। स्कूल से [illegible] स्थित है व खेल मैदान पर आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं है। राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक [illegible] अन्य निर्माणों [illegible] को सरकारी कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के नियम 3(iii) के अन्तर्गत आवंटित भूमि का वर्णित उद्देश्य आवंटन तिथि से 2 वर्ष में ही काम में लिये जाने का ही प्रावधान है। नियम 3(vii) के अन्तर्गत संस्था द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने पर भूमि वापस सरकार में निहित होने का प्रावधान है। अतः उक्त आवंटित भूमि के स्थान पर ग्राम बाडापदमपुरा के खसरा नं. 116/1 में उपलब्ध 5 बीघा भूमि जो विद्यालय के नजदीक है व पहूँच मार्ग उपलब्ध है, को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाडापदमपुरा को आवंटित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विद्यालय को खैल के मैदान हेतु पूर्व में आवंटित भूमि पर बाउन्ड्रीवाल का निर्माण करवा लिया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि यद्यपि विद्यालय द्वारा खेल मैदान हेतु पूर्व में आवंटित भूमि का उपयोग निर्धारित समयावधि में न कर शर्तों की पालना नहीं की है, किन्तु संस्थान के राजकीय विभाग होने के कारण, विद्यार्थियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुये एवं विद्यालय भवन से प्रस्तावित भूमि तुलनात्मक रूप से नजदीक होने के कारण खेल मैदान हेतु पूर्व आवंटित भूमि के बदले खसरा नं. 116/1 में से 5 बीघा भूमि आवंटित कर दी जावे। उक्त भूमि पर बाउन्ड्रीवाल जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये जाने का भी निर्णय लिया गया।
12.	3	106:7(5)	लालकोठी योजना में स्थित भूखण्ड संख्या डी-4 का मौके के अनुसार आवंटन क्षेत्रफल से अतिरिक्त स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की 46.38 वर्गगज भूमि आवंटित करने बाबत।	लालकोठी योजना मे स्थित भूखण्ड संख्या डी-4 क्षेत्रफल 272.22 वर्गगज श्री एस.पी. जैन को वर्ष 1981 को आवंटित किया गया था। भूखण्ड कॉर्नर होने के कारण बढे हुये क्षेत्रफल की राशि लेते हुये भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण श्री सुरेन्द्र सिंह के पक्ष में दिनांक 21.06.10 को किया गया। मौके पर उक्त भूखण्ड का माप

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण

				चौडाई में 40' के स्थान पर 46'6" हो रहा है तथा भूखण्ड पर निर्माण किया जा चुका है। इस प्रकार 6'6"X70' अर्थात 46.83 वर्गगज क्षेत्रफल बढ़ गया है। उपायुक्त ने बताया कि मौके पर सडक की चौडाई 30' पूरी करने के पश्चात आवंटन योग्य क्षेत्रफल 41.54 वर्गगज प्राप्त होता है। भूखण्ड की लीजडीड से अतिरिक्त भूमि 46.83 वर्गगज भूमि आवंटन करने हेतु विजय पाल सिंह पुत्र स्व. श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। आवंटी द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल की राशि जमा कराये जाने की पुष्टि उपायुक्त द्वारा की जाने के पश्चात 41.54 वर्गगज भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।
13.	12	106:7(6)	भूखण्ड संख्या सी–47 व सी–48 हाथोज .करधनी योजना के स्थान पर विनिमय भूखण्ड संख्या सी–37 व सी–38 का रास्ते की भूमि के लिये कीमतन आवंटन किये जाने के संबंध में।	उपायुक्त ने "डॉ0 बी0आर0 सोनी द्वारा हाथोज योजना की लिंक रोड से अपनी योजना को जोडने के लिए भूखण्ड संख्या सी–47 व सी–48 व उनके पीछे रिक्त भूमि को सोनी फार्म हाउस में जाने के लिए रास्ते हेतु आवंटित किये जाने हेतु मांग की गई थी। जिसके क्रम में उक्त प्रकरण प्राधिकरण की 31वीं एलपीसी की बैठक दिनांक 10.05.06 में निर्णायक प्रस्तुत किया गया था। जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि डॉ. बी.आर. सोनी के एस.के. फार्म हाउस, ग्राम माचवा का रास्ता हेतु भूमि आवंटन के प्रकरण पर चर्चा की गई जिसमें निर्णय लिया गया कि प्रकरण पूर्ण तथ्यों सहित राज्य सरकार को प्रेषित किया जावें। राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र क्रमांक प.3(58)नविवि/3/2006 दिनांक 13.03.07 के अनुसार स्वीकृति प्रदान की है कि अंसल टाउनशिप एण्ड लैण्ड डवलपमेन्ट लि0 को रास्ते हेतु भूमि आवंटन में की गई कार्यवाही की तरह डा0 बी. आर. सोनी के एस.के. फार्म हाउस ग्राम माचवा को रास्ते हेतु भूमि कीमतन आवंटन नियमानुसार कार्यवाही की जाने की व्यवस्था करें। अंसल टाउनशिप एण्ड लैण्ड डवलपमेंट लि. को योजना की आवासीय आरक्षित दर पर भूमि आवंटन करने का निर्णय एलपीसी की 16वीं बैठक दिनांक 06.06.05, 07.06.05 एवं ई.सी. की 113वीं बैठक 15.03.07 को किया गया है एवं उक्त भूखण्डों का कब्जा पत्र व लीजडीड जारी किया जाना शेष है। अतः राज्य सरकार के द्वारा दी गई स्वीकृति के क्रम में भूखण्ड संख्या सी–37 व सी–38 जोकि नक्शे में सृजित है कुल क्षेत्रफल 530.04 व.मी. है एवं गैस पाईप लाईन का क्षेत्रफल 1008 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 1538.04 वर्गमीटर है तथा वर्तमान में हाथोज करधनी आवासीय योजना में आरक्षित दर 3500 रूपये प्र.व.मी. है। अतः इसी आधार पर डॉ. बी.आर. सोनी को भूमि का आवंटन किया जा सकता है।" का एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त आवेदक को उसके फार्म हाउस पर जाने के लिए हाथोज करधनी योजना के भूखण्ड संख्या सी–37 व सी–38 कुल क्षेत्रफल 530.04 वर्गमीटर व गैस पाईप लाईन का क्षेत्रफल 1008 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 1538.04 वर्गमीटर योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि आवंटी द्वारा उक्त आवंटित भू–भाग पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। केवल भूमि का उपयोग

उपायुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				आवागमन के लिए कर सकेगा।
14.	12	1067(7)	राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक श्री बाबूलाल शर्मा को भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	श्री बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ अध्यापक ने राष्ट्रपति पुरस्कार वर्ष 2008 में प्राप्त करने के फलस्वरूप जविप्रा की स्वपन लोक, रजत विहार, आनन्द लोक व करधनी में भूखण्ड आवंटन का अनुरोध किया है। उपायुक्त जोन–12 की रिपोर्ट के अनुसार स्वपन लोक योजना में भूखण्ड संख्या सी–245 क्षेत्रफल 180 वर्गमीटर रिक्त होना बताकर एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर श्री शर्मा को स्वपन लोक आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या सी–245 क्षेत्रफल 180 वर्गमीटर योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।

आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि निजी खातेदारी की अनुमोदित आवासीय योजनाओं के सुविधा क्षेत्र में आरक्षित भूमि के राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत आवंटन हेतु अब तक प्राप्त प्रस्तावों को एलपीसी प्रकोष्ठ में मंगवाया जावे। ताकि सभी प्रकरणों की इकजाई सूची पर राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
एवं
जयपुर विकास प्राधिकरण
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, एवं नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त/अभियांत्रिकी–द्वितीय/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10ए, 11, 12, 12ए, 12बी, 13, 13ए, 14, 14ए व 15
16. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
17. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
18. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

17

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 106वीं बैठक दिनांक 21.05.14 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोड़ा, सचिव	सदस्य
3.	श्री देवराज सिंह, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्रीमति लवंग शर्मा, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
5.	श्रीमती नलिनी कठोतिया, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्री बी० डी० शर्मा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, प्रतिनिधि, निदेशक (अभि०)	सदस्य
7.	श्री गिरि राज अग्रवाल, संयुक्त आयुक्त (आर०एम०एण्ड सी०)	विशेष आमंत्रित
8.	श्री सुभाष महरिया, उपायुक्त जोन–4	विशेष आमंत्रित
9.	श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन–11	विशेष आमंत्रित
10.	श्री अवधेश सिंह, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
11.	श्री बीरबल सिंह शेखावत, उपायुक्त जोन–13 व 13ए	विशेष आमंत्रित
12.	श्री अजय असवाल, उपायुक्त जोन–14ए	विशेष आमंत्रित
13.	श्रीमती उषा जैन, सहायक निदेशक (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित